

## बिहार में चल रहे जातगत सर्वेक्षण की जटलिताएँ

### प्रलम्ब के लिये:

[सामाजिक-आर्थिक और जातगत जनगणना, भारत में जनगणना, सर्वोच्च न्यायालय](#), जाति-आधारित सर्वेक्षण, इंदरा साहनी मामला, संविधान का अनुच्छेद 16(4)

### मेन्स के लिये:

जाति आधारित सर्वेक्षण का उद्देश्य, जाति आधारित सर्वेक्षण के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू

## चर्चा में क्यों?

बिहार में चल रहे जाति-आधारित सर्वेक्षण ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, जिससे इसकी संवैधानिकता, आवश्यकता और संभावित नहितार्थों से संबंधित कानूनी बहस छड़ी गई है।

## जाति आधारित सर्वेक्षण का उद्देश्य:

- जाति-आधारित सर्वेक्षण 7 जनवरी, 2023 को बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया था। सरकार ने कहा कि इससे सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर वस्तुतः जानकारी प्राप्त करने एवं वंचित समूहों के लिये बेहतर नीतियाँ और योजनाएँ बनाने में मदद मिलेगी।
- इस सर्वेक्षण में बिहार के 38 जिलों में 12.70 करोड़ की आबादी की जातगत जानकारी के साथ-साथ आर्थिक स्थितिका डेटा जुटाना भी शामिल है।

नोट: वर्ष 2011 में केंद्र सरकार ने [सामाजिक-आर्थिक और जातगत जनगणना \(SECC\)](#) की। हालाँकि डेटा अशुद्धियों के कारण लगभग 1.3 बिलियन भारतीयों से एकत्र किये गए डेटा का कभी प्रदर्शन नहीं किया गया।

## जाति-आधारित सर्वेक्षण को कानूनी चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है?

- जाति-आधारित सर्वेक्षण को लेकर आलोचकों का वरिध:
  - इस सर्वेक्षण को कई याचिकाकर्ताओं ने पटना उच्च न्यायालय में विभिन्न आधारों पर चुनौती दी थी, जैसे [संविधान का उल्लंघन](#), गोपनीयता का उल्लंघन, राज्य सरकार की क्षमता से परे होना, राजनीति से प्रेरित होना और अवशिष्टसनीय तरीकों पर आधारित होना।
  - याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार के पास केंद्र सरकार द्वारा जारी [जनगणना अधिनियम, 1948](#) की धारा 3 के तहत किसी अधिसूचना के बिना डेटा संग्रह के लिये [जिला मजिस्ट्रेट](#) और स्थानीय अधिकारियों को नियुक्त करने की कानूनी क्षमता का अभाव है।
    - साथ ही सभी नागरिकों की एक जातगत पहचान नरिदष्टि करना (भले ही इससे राज्य के लाभों का उपयोग सुलभ हो) संविधान के विरुद्ध है।
      - यह अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत पहचान के अधिकार, गरमा के अधिकार, सूचनात्मक गोपनीयता के अधिकार और पसंद के अधिकार के खिलाफ है।

नोट: सातवीं अनुसूची की संघ सूची में संविधान की एकमात्र प्रवर्षिता संख्या 69, केंद्र सरकार को जनगणना करने का अधिकार देती है।

- दूसरे चरण पर हाईकोर्ट द्वारा रोक:

सर्वेक्षण के पहले चरण में घरों को सूचीबद्ध करना शामिल था। सरकार दूसरे चरण में **थीजब 4 मई, 2023 को उच्च न्यायालय के**

आदेश के कारण सर्वेक्षण रोक दिया गया था।

#### ■ सर्वेक्षण को उच्च न्यायालय की मान्यता:

- हालाँकि हाल ही में उच्च न्यायालय के फैसले के बाद इस कदम का वरिध करने वाली सभी याचिकाएँ खारजि हो गईं, सरकार ने सर्वेक्षण के दूसरे चरण पर काम फिर से शुरू कर दिया।
  - दूसरे चरण में सभी लोगों की जाति, उपजाति और धर्म से संबंधित डेटा एकत्र किया जाना है।
- न्यायालय ने इंदरा साहनी वाद (Indra Sawhney Case) के फैसले पर विश्वास करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत सामाजिक पछिड़ेपन को सुधारने के लिये जाति की पहचान करना गलत नहीं है।
- चल रहे जाति सर्वेक्षण को बरकरार रखने वाले पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएँ भी दायर की गई हैं।

## जाति आधारित सर्वेक्षण के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू:

#### ■ सकारात्मक:

- सूचति नीति निर्माण: जाति-आधारित असमानताओं के बारे में सटीक और अद्यतन जानकारी नीति निर्माताओं को हाशिये पर रहने वाले समुदायों के उत्थान तथा सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिये अधिक प्रभावी नीतियों और कार्यक्रमों को डिज़ाइन एवं कार्यान्वयन करने में मदद कर सकती है।
  - अंतिम जाति-आधारित जनगणना, जो जनता के लिये खुले तौर पर उपलब्ध है, वर्ष 1931 की गई।
- अंतरवर्गीयता को संबोधित करना: यह जाति, धर्म और क्षेत्र जैसे अन्य कारकों के साथ अंतरवर्गीयता को संबोधित करता है, जिससे हानि होती है।
  - एक सर्वेक्षण इन अंतरसंबंधों को उजागर कर सकता है, जिससे अधिक सूक्ष्म नीतितंत्र दृष्टिकोण सामने आ सकते हैं जो हाशिये के कई आयामों को लक्ष्यित करते हैं।

#### ■ नकारात्मक:

- संभावित कलंक: जाति की पहचान का खुलासा करने से कुछ जातियों से जुड़ी पूर्वकल्पित धारणाओं के आधार पर व्यक्तियों को कलंकित किया जा सकता है या उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है।
  - यह ईमानदार प्रतिक्रियाओं को बाधित कर सकता है और सर्वेक्षण की सटीकता को कमज़ोर कर सकता है।
- राजनीतिक हेर-फेर: राजनेताओं द्वारा अल्पकालिक लाभ के लिये जाति-आधारित डेटा का उपयोग किया जा सकता है, जिससे पहचान-आधारित वोट बैंक की राजनीति हो सकती है। यह वास्तविक नीतितंत्र मुद्दों से ध्यान भटका सकता है और वभिजनकारी राजनीति को कायम रख सकता है।
- जाति पहचान की फलुईडीटी: सरलीकृत व्याख्याएँ अंतर-जातीय विविधताओं और ऐतिहासिक परिवर्तनों को नज़रअंदाज कर सकती हैं, जिससे ऐसी नीतियाँ बन सकती हैं जो समकालीन जाति गतिशीलता की बारीकियों को संबोधित करने में विफल रहती हैं।
  - इसके अलावा जाति की पहचान स्थिर नहीं है; अंतर-जातीय विवाह जैसे कारकों के कारण उनमें बदलाव आ सकता है। एक सर्वेक्षण को इन गतिशील परिवर्तनों को पहचानने में कठिनाई हो सकती है, जिससे वास्तविकता में गलत प्रतिनिधित्व हो सकता है।

## नषिकर्ष:

जन जागरूकता अभियान, नियमित समीक्षा और क्षमता निर्माण पहल संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य-10 के सदिधांतों के अनुरूप असमानताओं को कम करने और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने की दीर्घकालिक दृष्टि से योगदान कर सकते हैं।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

\_\_\_\_\_:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2009)

1. जनगणना 1951 और जनगणना 2001 के बीच, भारत की जनसंख्या का घनत्व तीन गुना से अधिक बढ़ गया है।
2. जनगणना 1951 और जनगणना 2001 के बीच, भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धिदर (घातीय) दोगुनी हो गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

**??????:**

**प्रश्न.** आप उन आँकड़ों को किस प्रकार स्पष्ट करते हैं, जो दर्शाते हैं कि भारत में जनजातीय लगानुपात, अनुसूचित जातियों के बीच लगानुपात के मुकाबले, महिलाओं के अधिक अनुकूल हैं। (2015)

**प्रश्न.** यद्यपि भारत में नरिधनता के अनेक विभिन्न प्राक्कलन किये गए हैं, तथापि सभी समय गुजरने के साथ नरिधनता स्तरों में कमी आने का संकेत देते हैं। क्या आप सहमत हैं? शहरी और ग्रामीण नरिधनता संकेतकों का उल्लेख के साथ समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2015)

**स्रोत: द द्रिष्टि**

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/complexities-of-bihar-s-ongoing-caste-survey>

